राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा. / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर, दिनांक : 19.05.2019

आ दे श

डा. रामबिलास सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर के खिलाफ जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा प्रेषित शिकायत के आधार पर जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डा. रामबिलास सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर का निलम्बन अवधि में मुख्यालय निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर के कार्यालय में रहेगा। डा. सिंह को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— Sd/- —

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
2– विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
5– जिला कलक्टर, धोलपुर को प्रेषित कर निवदेन है कि डा. रामबिलास सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि निदेशक, जन स्वास्थ्य के माध्यम से इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
6– निदेशक, जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति पंजिका में डा. सिंह की उपस्थिति दर्ज करावें एवं डा सिंह के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन, भरतपुर
8– प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर
9– डा. रामबिलास सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी), सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर के माध्यम से
10– कम्प्यूटर सेल
11– निजी / रक्षित पत्रावली

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव